न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :- 15/2019

वादीः-

1. सज्जनसिंह पुत्र बेरीसालसिंह फौत के कायम मुकाम:-
   1/1 लाडकंवर पत्नी स्व. सज्जनसिंह
   1/2 भंवरकंवर पुत्री स्व. सज्जनसिंह
   1/3 प्रकाशकंवर पुत्री स्व. सज्जनसिंह
   1/4 भेरूसिंह पुत्र स्व. सज्जनसिंह
   1/5 मेघसिंह पुत्र स्व. सज्जनसिंह जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम गुजरावास, तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
2. असरथ कंवर पत्नी भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी गुजरावास
3. उमराव कंवर पत्नी मेघसिंह जाति राजपूत निवासी गुजरावास

बनाम

प्रतिवादीगणः-

1. सूजरकंवर पत्नी सवाईसिंह फौत के कायम मुकामः-
   1/1 दरियाव कंवर पुत्री सूरजकंवर पत्नी लेखपालसिंह जाति राजपूत निवासी सरदारपुरा तहसील सोजत सिटी जिला पाली
   1/2 पवन कंवर पुत्री सूरजकंवर पत्नी गिरधारीसिंह जाति राजपूत निवासी उदेका तहसील सोजत सिटी जिला पाली
2. मनोहसिंह पुत्र सवाईसिंह फौत के कायम मुकामः-
   2/1 देवीसिंह पुत्र मनोहरसिंह
   2/2 किशनसिंह पुत्र मनोहरसिंह
   2/3 भंवरकंवर पत्नी मनोहरसिंह जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम गुजरावास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
   2/4 दुर्गाकंवर पत्नी धर्मवीरसिह पुत्री मनोहरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बासिंया तहसील सोजत सिटी जिला पाली
   2/5 पिंकु कंवर पत्नी नेपालसिंह पुत्री मनोहरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बिकनिया तहसील मेडता जिला नागौर
3. भंवरसिंह पुत्र अमरसिंह
   3/1 छैलसिंह पुत्र स्व. भंवरसिंह
   3/2 बजरंगसिंह पुत्र स्व. भंवरसिंह
   3/3 करणसिंह पुत्र स्व. भंवरसिंह
   3/4 लाडकंवर पत्नी भंवरसिंह जातियान राजपूत, ग्राम गुजरावास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
4. भगवानसिंह पुत्र अमरसिंह
5. छत्रसिंह पुत्र अमरसिंह
6. श्यामसिंह पुत्र अमरसिंह
7. भंवरकंवर पत्नी अमरसिह फौत के कायम मुकाम प्रतिवादी सं. 3/1 से 3/4 व प्रतिवादी सं. 4 से 6 पहले से मौजूद व :-
   7/1 रसाल कंवर पुत्री स्व. भंवरकंवर जाति राजपूत निवासी ग्राम गुजरावास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
8. माडकंवर पत्नी जालमसिंह
9. भंवरसिंह पुत्र पीरसिंह
10. सुरेन्द्रसिंह पुत्र पीरसिंह
11. गिरधारीसिंह पुत्र जीवनसिंह
12. सगतसिंह पुत्र जीवनसिंह फौत के कायम मुकामः-
    12/1 मांगूसिंह पुत्र स्व. सगतसिंह उर्फ शक्तिसिंह

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

12/2 कैलाशकंवर पुत्री स्व. सगतसिंह उर्फ शक्तिसिंह
12/3 पुष्पाकंवर पुत्री स्व. सगतसिंह उर्फ शक्तिसिंह जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम गुजरावास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

13. चन्दनसिंह पुत्र जीवनसिंह फौत के कायम मुकामः-
13/1 देवेन्द्रसिंह भाटी पुत्र स्व.चन्दनसिंह
13/2 किरण पुत्री स्व. चन्दनसिंह
13/3 पवनकंवर पत्नी स्व. चन्दनसिंह जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम गुजरावास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

दावा अन्तर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

उपस्थिति :- वादी -श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 2 व 5-श्री एन एस सोढा एडवोकेट।
प्रतिवादी संख्या 14 सरकारी पैरोकार।

दिनांक :- 07/10/25

निर्णय

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण गांव गुजरावास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर राजस्थान के निवासी है। वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की ग्राम गुजरावास में खसरा नंबर 114 रकबा 45 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 115 रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 116 रकबा 38 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 117 रकबा 46 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नंबर 286/114 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 288/117 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा कुल खसरा 6 कुल रकबा 160 बीघा 7 बिस्वा आई हुई है। इसी प्रकार खसरा नंबर 204 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नंबर 228 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 321/204 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा कुल खसरा 3 कुल रकबा 29 बीघा 5 बिस्वा आई हुई है। उपरोक्त वर्णित भूमि को आगे वाद में वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया जायेगा। पैरा सं. 2 में वर्णित भूमि खसरा नंबर 114, खसरा नंबर 115, खसरा नंबर 116, खसरा नंबर 117, खसरा नंबर 286/114, खसरा नंबर 288/117 कुल रकबा 160 बीघा 7 बिस्वा में वादी का 1/4 हिस्सा है। तथा प्रतिवादीगण सं. 1 से 13 का उक्त भूमि में सभी का 3/4 हिस्सा है। जो माफिक राजस्व रेकर्ड के है। वाद में वर्णित भूमि खसरा नं. 204, खसरा नंबर 228, खसरा नंबर 321/204 कुल रकबा 29 बीघा 5 बिस्वा में वादी का 1/2 हिस्सा है तथा शेष 1/2 हिस्से पर प्रतिवादीगण सं. 3 से 13 का हिस्सा है। वादी व प्रतिवादीगण सहखातेदार है। वाद के पद सं. 2 मे वर्णित तमाम वादग्रस्त भूमि पर दिनांक 15.07.2004 से पूर्व वादी का कब्जा काश्त माफिक रेकर्ड के अनुसार था तथा वादी से पूर्व उक्त वादी के हिस्से की भूमि पर वादी के पिता का कब्जा कास्त था वक्त सेटलमेंट से वादी के पिता का कब्जा कास्त था उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण के पुश्तैनी की है। व हिस्से अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है। दिनांक 15/7/2004 को प्रतिवादीगण सं. 1 से 13 एक राय होकर पूर्व तैयारी के आये और वादी के हिस्से की वादग्रस्त भूमि में उक्त प्रतिवादीगण ने जबरन कब्जा करके वादी को अपने हिस्से की वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर दिया तथा जबरन फसलें बो दी। तथा इसके पश्चात वादी व प्रतिवादीगण के बीच में समझाईश का दौर चला किन्तु दिनांक 13.10.2004 को सरहद मौजा गुजरावास में प्रतिवादीगण सं. 1 से 13 ने वादी को अपने हिस्से की भूमि देने से इन्कार कर दिया। तथा उल्टे वादी के साथ इन लोगों ने वादी के घर आकर के मारपीट की । इस

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

प्रकार प्रतिवादीगण सं. 1 से 13 ने जबरन वादी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करके वादी का भूमि हडपने का प्रयास किया है। जबकि वादी के हिस्से की भूमि में प्रतिवादीगण सं. 1 से 13 का कोई राईट, टाईटल व इंस्टट नहीं है। प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था इसी वजह से वादी को विरूद्ध प्रतिवादीगण यह वाद वाद के पद सं. 2 में वर्णित वादग्रस्त भूमि में से अपने हिस्से की भूमि का कब्जा लेने के लिए पेश करना पड रहा है। प्रतिवादी सं. 14 राजस्थान सरकार है। जिसके विरूद्ध वादी ने कोई अनुतोष नहीं चाहा है। वादी वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से की भूमि का खातेदार कास्तकार है। तथा प्रतिवादीगण वादी के खातेदारी के अधिकार को चेलेन्ज कर रहे है। इस प्रकार वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनना पाया जाता है। सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष में है। तथा अगर वादग्रस्त भूमि में से वादी को अपने हिस्से की भूमि का कब्जा नहीं मिला तो वादी के बच्चे भूखे मर जायेगें। जिससे वादी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी कमी पूर्ती रूपयें पैसों में नही आंकी जा सकेगी। प्रतिवादीगण का वादी के हिस्से की वादग्रस्त भूमि पर दिनांक 15.07.2004 से पहले कभी भी किसी भी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं रहा है बल्कि वादी का कब्जा काश्त करता है। प्रतिवादीगण वादी को परेशान करके वादी के हिस्से की वादग्रस्त भूमि को हडपना चाहते है। वादकरण दिनांक 15.07.2004 को वादी को अपने हिस्से की वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादीगण सं. 1 से 13 बेदखल करने पर एवं प्रतिवादीगण द्वारा वादी के हिस्से की वादग्रस्त भूमि कें जबरन कब्जा काश्त करने पर सरहद मौजा गुजरावास मे पैदा हुआ व आज भी हो रहा है। साथ ही वादकरण दिनांक 13.10.2004 को सरहद मौजा गुजरावास में प्रतिवादीगण द्वारा वादी को वादग्रस्त वादी के हिस्से की भूमि को लोटाने से इन्कार करने पर ग्राम गुजरावास में पैदा हुआ। वादग्रस्त भूमि सरहद मौजा गुजरावास में स्थित होने से न्यायालय हाजा को यह वाद श्रवण करने का अधिकार है।

अन्त में निवेदन है कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अकर की कब्जा प्राप्त करने की डिक्री जारी की जावे कि वादी को ग्राम गुजरावास में स्थित खेत खसरा नंबर 114, 116 117, 286/114, 288/117, 115 के प्रत्येक खसरे के रकबे में से वादी को 1/4 हिस्से की भूमि का कब्जा प्रतिवादीगण सं. 1 से 13 को दिलाया जाकर के बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा फरमाया जावे तथा उक्त कब्जा वादी को प्रतिवादीगण सं. 1 से 13 को वादी के हिस्से की भूमि से बेदखल करके दिलाया जावें। इसी माफिक बंटवाडा व कब्जे की डिक्री वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी फरमाई जावे। तथा राजस्व रेकर्ड एवं नक्शे में भी इसी कदर हिस्से के माफिक सीमाकंन करके बंटवाडा फरमाया जावें। वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध 1 से 13 इस अमर की बंटवाडा एवं कब्जा प्राप्त करने की डिक्री जारी की जावे कि वादी को सरहद मौजा गुजरावास में स्थित खेत खसरा नंबर 204, 208, 321/204 के प्रत्येक खसरे की भूमि में से वादी को प्रतिवादीगण सं. 1 से 13 का 1/2 हिस्से की भूमि का कब्जा दिलाने की डिक्री जारी फरमावें तथा इसी माफिक बाई मिटस एण्ड बाउण्डस उक्त खसरान का बंटवाडा वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 13 के मध्य करके नक्शे में भी अंकन करके बंटवाडे की डिक्री जारी फरमावें। वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 13 के विरूद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमावें कि प्रतिवादीगण वाद के पद सं. 2 में वर्णित वादी के हिस्से की भूमि में कोई

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
दिलाड़ा

दखलन्दाजी न तो स्वयं करके न ही अन्य किसी हाली एजेन्ट, नौकर, रिश्तेदार से ही करावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण का दावा दिनांक 12.8.2025 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम गुजरावास की सरहद में स्थित भूमि खसरा नंबर 114 रकबा 45 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 115 रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 116 रकबा 38 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 117 रकबा 46 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नंबर 286/114 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 288/117 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा कुल खसरा 6 कुल रकबा 160 बीघा 7 बिस्वा में वादी का 1/4 वां हिस्सा तथा इसी प्रकार खसरा नंबर 204 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नंबर 228 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 321/204 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा कुल खसरा 3 कुल रकबा 29 बीघा 5 बिस्वा की राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कर बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाडा ने बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है

क्र.सं.	नाम काश्तकार	खसरा नम्बर	रकबा
1	मेघसिंह पुत्र सज्जनसिंह हि. 1/5 जाति राजपूत सा.देह खातेदार प्रकाश कंवर पुत्री सज्जनसिंह हि. 1/5 जाति राजपूत सा.देह खातेदार भैरूसिंह पुत्र सज्जनसिंह हि. 1/5 जाति राजपूत सा.देह खातेदार भंवरकवंर पुत्री सज्जनसिह हि. 1/5 जाति राजपूत सा.देह खातेदार लाडकंवर पत्नी सज्जनसिंह हि. 1/5 जाति राजपूत सा.देह खातेदार	204 228	0.5137 0.9546
	कुल योग	2	1.4683
2	किरण पुत्र चन्दनसिंह हि. 613/14683 गिरधारी सिंह पुत्र जीवनसिंह 1835/14683 छत्रसिह पुत्र अमरसिंह हि. 3670/14683 देवेन्द्रसिह पुत्र भाटी पुत्र चन्दनसिंह हि. 613/14683 पवनकंवर पत्नी चन्दनसिंह हि. 613/14683 भगवान सिह पुत्र अमरसिह हि. 613/14683 भंवरसिंह पुत्र पीरसिंह हि. 917/14683 शक्तिसिंह पुत्र जीवनसिंह हि. 1835/14683 सुरेन्द्रसिंह पुत्र पीरसिंह हि. 917/14683	204 228	0.5137 0.9546
	कुल योग	2	1.4683
3	मेघसिंह पुत्र सज्जनसिह हि. 1/5 भैरूसिंह पुत्र सज्जनसिंह हि. 1/5 लाडकंवर पत्नी सज्जनसिंह हि. 1/5 भंवरकंवर पुत्री सज्जनसिंह हि. 1/5 प्रकाशकंवर पुत्री सज्जनसिंह हि. 1/5	321/204	0.8980
4	करणसिंह भाटी पुत्र भंवरसिंह हि. 711/4490 कानसिंह पुत्र भंवरसिंह हि. 187/4490 किरण पुत्री चन्दनसिंह हि. 187/4490 गिरधारी सिंह पुत्र जीवनसिंह हि. 1123/8980 देवेन्द्रसिंह भाटी पुत्र चन्दनसिंह हि. 187/4490 पवनकंवर पत्नी चन्दनसिंह हि. 187/4490	321/204	0.8980

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

	बजरंगसिंह भाटी पुत्र भंवरसिंह 711/4490 भंवरसिंह पुत्र पीरसिंह हि. 861/8980 लाडकंवर पत्नी स्व. भंवरसिंह हि. 56/2245 सुरेन्द्रसिंह पुत्र पीरसिंह हि. 561/2245 रहन-आईसीआईसीआई शाखा बिलाडा शक्तिसिंह पुत्र जीवनसिंह हि. 1123/8980		
5	असरथ कंवर पत्नी भैरूसिंह हि. 1/4 रहन-इडसइंड शाखा बिलाडा उमराव कंवर पत्नी मेघसिंह हिस्सा 1/4 रहन-इडसइंड शाखा बिलाडा भैरूसिंह पुत्र सज्जनसिंह हिस्सा 1/4 रहन-इंडसइड बिलाडा मेघसिंह पुत्र सज्जनसिंह हिस्सा 1/4 रहन-इंडसइंड शाखा बिलाडा	114 115 116 117 286/114 288/117	1.8223 0.7243 1.5454 1.8748 0.3660 0.1539
6	करणसिंह भाटी पुत्र भंवरसिंह हिस्सा 4215/194582 कैलाश कंवर पुत्री शक्तिसिंह हिस्सा 5405/194582 कानसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा 4215/194582 किरण पुत्री चंदनसिंह हिस्सा 5405/194582 किशनसिंह पुत्र मनोहरसिंह हिस्सा 2162/97291 गिरधारी सिंह पुत्र जीवनसिंह हिस्सा 16216/194582 छत्रसिंह पुत्र अमरसिंह हि. 16216/194582 दुर्गाकंवर पुत्री मनोहरसिंह हि. 2162/97291 दरियाव कंवर पुत्री सवाई सिंह हि. 10810/97291 देवेन्द्रसिंह भाटी पुत्र चन्दनसिंह हि. 5405/194582 देवीसिंह पुत्र मनोहरसिंह हि. 2162/194582 नरेन्द्रकंवर राठौड पुत्री मनोहरसिंह हि. 2162/194582 पवनकंवर पत्नी चन्दनसिंह हि. 5405/194582 पुष्पाकंवर पुत्री शक्तिसिंह हि. 5405/194582 बजरंगसिंह पुत्र भंवरसिह हि. 4215/194582 भगवानसिंह पुत्र अमरसिंह हि. 4215/194582 भंवरकंवर पत्नी मनोहरसिंह हि. 2162/194582 भंवरसिंह पुत्र पीरसिंह हि. 5405/194582 मांगूसिंह पुत्र शक्तिसिंह हि. 5405/194582 लाडकंवर पत्नी स्व. भंवरसिंह हि. 3567/194582 श्यामसिंह पुत्र अमरसिंह हि. 16216/194582 सुरेन्द्रसिंह पुत्र पीरसिंह हि. 8108/194582 रहन- आईसीआईसीआई शाखा बिलाडा पवनकंवर पुत्री सवाईसिंह 10810/97291	114 115 116 117 286/114 288/117	5.4668 2.1722 4.6354 5.6246 1.0983 0.4609

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

उक्त सारणी के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि मौका स्थिति अनुसार नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रखी गयी। तहसीलदार बिलाडा से प्राप्त प्राथमिक डिक्री पालना रिपोर्ट पर वादीगण व प्रतिवादी द्वारा कोई आपति पेश नहीं की गई। बंटवाडा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की इसलिए बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 17.09.2025 के अनुसार वादी के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम

डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी व प्रतिवादी के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 17.09.2025 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

निर्णय आज दिनांक 07/11/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

वादी
सज्जनसिह

बनाम

प्रतिवादीगण
सुरजकंवर वगैराह

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :- 15/2019

निर्णय दिनांक :- 01/10/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 2 व 5 की ओर से श्री एस.एन.सोढा अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1, 3, 4, 6 से 12 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या 13 स्वयं उपस्थित, प्रतिवादी सं. 14 सरकारी पैरोकार मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी व प्रतिवादी के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 17.09.2025 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व -- - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वकालतनामा			वजह सबूत महनताना वकील		
स्टाम्प वजह सबूत			खर्चा गवाहान		
महनताना वकील			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			दर० तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस वर्श के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा